

282/34

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
18/22	53, 88 , 89, 188 RTI	अलीनगर उर्फ हृदीबर्षी	5831
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
गुडडी बाई	बनाम	रामधन वगै.	

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

3/4/22

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 89, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 12.03.2022 को पेश हो।

om

राजस्व लोक अदालत
केम्प कोर्ट.....5831.....

12/3/22

राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प के लिए पत्रावली प दिनांक..... नियत की जाती है। लोक अदालत कोर्ट केम्प में निस्तारण नहीं होने की दशा में प्रकरण पूर्ववत् दिनांक 12.03.22 को न्यायालय में पेश हो।

om

आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बारा

12/4/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित है वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण में Non PRESS रिफ है अतः प्रकरण में कार्यवाही नहीं चाहते हैं प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है पत्रावली फेशल शुमार होकर दारिखत दफतर हो।

om

Not Press
12/4/22